[illegible]

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- सुमन देवी [illegible] आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं. 31/2018 टीसीएमएस नम्बर :- 2018/[illegible]

1. श्रीपाल पुत्र रामनारायण जाति जांगिड़ निवासी मेघपुर तह० बुहाना जिला झुन्झुनू राज०

.................वादी

बनाम

1. महावीर पुत्रान } रामनारायण जाति जांगिड़
2. लालचन्द }
3. पाना पत्नी स्व. हरद्वारी
4. राजेश कुमार } पुत्रान स्व. हरद्वारी जाति जांगिड़
5. महेन्द्र सिंह }
6. प्रमीन्द्र सिंह }
7. नवीन कुमार }
8. सुनिता } पुत्रियान स्व. हरद्वारी जाति जांगिड़
9. लीला }
10. मन्जू }
11. पूजा }
12. सोमवती पत्नी स्व. रणधीर जाती अहीर निवासी मेघपुर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज०
13. राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मालोट निवासी मेघपुर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज०
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय बुहाना जिला झुन्झुनू राज.

.................प्रतिवादीगण

दावा-खाता विभाजन

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.08.06 17:35:25 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थिति—

1. श्री विजयपाल यादव, अधिवक्ता [illegible]
2. शेष प्रतिवादी बावजूद तामिल अनुपस्थित [illegible] एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

-: **निर्णय** :- दिनांक – 14.07.2025

(1). वादी का वादपत्र रहा कि:–

1. यह कि वाके ग्राम मेघपुर स्थित खाता संख्या 172 के खसरा न0 539 रकबा 1.08 है0 के खातेदार कास्तकार लालचन्द पुत्र रामनारायण हि० 5/8 हरद्वारी पुत्र रामनारायण हि0 1/4 सोमवती पत्नी स्व. रणधीर हि0 1/4 सम्वत् 2070 ल0 73 हि० 1/8 जाती ब्राहमण दर्ज रिकार्ड है।
2. यह कि वाके ग्राम मेघपुर स्थित खाता संख्या 116 के खसरा न0 258 रकबा 0.01 है। खसरा न0 259 रकबा 0.05 है० खसरा न0 287 रकबा 0.56 है० कुल किता 3 रकबा 0.62 है0 के खातेदार कास्तकार महावीर लालचन्द पुत्र रामनारायण हिस्सा 1/4 पाना पत्नीं स्व. हरद्वारी राजेश, महेन्द्र प्रमीन्द्र सिह नवीन कुमार पुत्रान स्व. हरद्वारी सूनिता, लीला, मन्जू, पूजा पुत्रियान स्व. हरद्वारी हि0 1/8 श्रीपाल पुत्र रामनारायण हि0 5/8 के खतेदार कास्तकार सम्वत् 2070 ल० 73 दर्ज रिकार्ड है।
3. यह कि उक्त ग्राम स्थित हाल खाता संख्या 171 के खसरा न0 328 रकबा 0.94 है० के खातेदार कास्तकार लालचन्द पुत्र रामनारायण हि० 1/8 पाना पत्नीं स्व. हरद्वारी राजेश, महेन्द्र प्रमीन्द्र सिह नवीन कुमार पुत्रान स्व. हरद्वारी सूनिता, लीला, मन्जू, पूजा पुत्रियान स्व. हरद्वारी हिस्सा बराबर हिस्सा 1/8 महावीर पुत्र रामनारायण हि० 3/4 के खतेदार कास्तकार सम्वत् 2070 ल० 73 दर्ज रिकार्ड है।
4. यह कि उक्त ग्राम स्थित हाल खाता संख्या 190 के खसरा न0 78 रकबा 0.39 है० खसरा न0 198 रकबा 0.09 है० कुल किता 2 कुल रकबा 0.48 है0 के खातेदार कास्तकार श्रीपाल, महावीर पुत्र रामनारायण, पाना पत्नीं स्व. हरद्वारी राजेश, महेन्द्र प्रमीन्द्र सिह नवीन कुमार पुत्रान स्व. हरद्वारी सूनिता, लीला, मन्जू, पूजा पुत्रियान स्व. हरद्वारी हिस्सा बराबर हिस्सा 1/8 लालचन्द पुत्र रामनारायण हि० 5/8 के खतेदार कास्तकार सम्वत् 2070 ल० 73 दर्ज रिकार्ड है।
5. यह कि उक्त ग्राम स्थित हाल खाता संख्या 191 के खसरा न0 148 रकबा 0.29 है० खसरा न० 389 रकबा 0.55 है० कुल किता 2 कुल रकबा 0.84 है० के खातेदार कास्तकार श्रीपाल, लालचन्द पुत्र रामनारायण हि0 1/4 पाना पत्नीं स्व. हरद्वारी राजेश, महेन्द्र प्रमीन्द्र सिह नवीन कुमार पुत्रान स्व. हरद्वारी सूनिता, लीला, मन्जू, पूजा पुत्रियान स्व. हरद्वारी हिस्सा बराबर हिस्सा 1/8 महावीर पुत्र रामनारायण हि० 5/8 के खतेदार कास्तकार सम्वत् 2070 ल० 73 दर्ज [illegible]
6. यह कि हरद्वारी पुत्र रामनारायण फौत हो चुका है [illegible] संख्या 116,190,171,191 में हरद्वारी पुत्र रामनारायण के फौत [illegible] वारिसान का नाम दर्ज कर दिया गया परन्तु हाल खाता संख्या 172 [illegible] न0 539 रकबा 1.08 है0 में हरद्वारी के वारीसान का नाम हरद्वारी की मृत्यु [illegible] बाद सहवन से या भूलवश

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.08.06 17:35:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

नामान्तरण नही आया है। इसलिये खसरा न0 539 के 1/8 हिस्से में हरद्वारी के बजाय हरद्वारी के वारीशान प्रतिवादी सं० 3 ल0 11 को खातेदार कास्तकार घोषित किया जाना आवश्यक है।

7. यह कि प्रतिवादीगण नें विवादित भूमि का करीब 30 साल से बाहमी बटवारा कर रखा है। बाहमीं बटवारे के आधार पर हाल खसरा 539 रकबा 1.08 है० पूर्व दिशा का 0.54 है० लालचन्द के हिस्से में आया हुआ है। तथा 0.27 है० भूमि सोमवती पत्नी रणधीर के हिस्से मे आई हुई है। व 0.27 है0 भूमिं हरद्वारी पुत्र रामनारायण के हिस्से मे आई हुई है। परन्तु हरद्वारी पुत्र रामनारायण ने अपनी भूमि महावीर पुत्र रामनारायण को दूसरी भूमि के बदले में दे दी है और हरद्वारी नें उक्त भूमि के बदले महावीर पुत्र रामनारायण से अन्य खसरा न0287 रक्बा 0.56 है० मे ले ली है।

8. यह कि खसरा न0 328 रकबा 0.94 है० का भी पक्षकार के नाम बाहमीं बटवारा हो चुका है और बाहमी बटवारे के आधार पर पश्चिम दिशा की 0.47 है0 भूमि महावीर पुत्र रामनारायण के हिस्से मे आई हुई है। इस प्रकार खसरा न0 258,259,287 का भी पक्षकारान में बाहमी बटवारा हो चूका है और बाहमीं बटवारे के आधार पर खसरा न० 258 रकबा 0.01 है० खसरा न0 259 रकबा 0.05 है० खसरा न० 287 रकबा 0.56 है० सम्पूर्ण भूमि हरद्वारी पुत्र रामनारायण प्रतिवादी संख्या 3 ल0 11 के हिस्से मे आई हुई है।

9. यह कि खसरा न० 198 रकबा 0.09 है० मे से उत्तर दिशा की 0.04 है० भूमि श्रीपाल पुत्र रामनारायण व दक्षिण दिशा की 0.05 है० भूमि लालचन्द पुत्र रामनारायण के हिस्से मे आई हुई है तथा खसरा न० 78 रकबा 0.39 है० भूमिं मे से पश्चिम दिशा की 0.17 है० भूमि लालचन्द उसके पूर्व में 0.17 है० भूमि महावीर तथा महावीर के पूर्व में 0.05 है० भूमि श्रीपाल पुत्र रामनारायण के हिस्से मे आई हुई है व खसरा न० 389 राकबा 0.55 है० भूमि मे से पूर्व दिशा कि 0.22 है0 भूमि लालचन्द पुत्र रामनारायण व 0.33 है० भूमि पश्चिम दिशा श्रीपाल पुत्र रामनारायण के हिस्से मे आई हुई है। और इसी आधार पर पक्षकारो का आपस मे बाहमीं बटवारा कर रखा है और अपनी कास्त की उन्नती भी कर रखी है।

10. यह कि खसरा न0 539 मे हरद्वारी पुत्र रामनारायण के 1/8 के हिस्से में हरद्वारी के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 3 ल० 11 को खातेदार घोषित किया जावे। और सम्पूर्ण विवादित भुमिं की कास्त की उन्नती के लिए खाता विभाजन किया जाना आवश्यक है जिससे पक्षकारान अपनी अपनी भूमि [illegible] की उन्नती कर सकें।

11. यह कि दावे के लिये आधार गत पांच रोज पूर्व [illegible] की ली नकल लेने से व प्रतिवादीगण को खाता विभाजन हेतु [illegible] प्रतिवादी [illegible] खाता विभाजन के लिए कोई जवाब ना देने से पैदा हुआ अतः दावा [illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.08.06 17:35:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

12. यह कि राज० कास्तकारी अधि० के त्रतीय परिशिष्ट में दावा खाता विभाजन व घोषणात्मक हेतु 1,1 रू0 कोर्ट फीस पर सहायक क्लेकटर के यहां दावा पेश करना दर्ज है। इसलिये न्यायालय श्रीमानजी में यह दावा 2 रू0 कोर्ट फीस पर पेश है।

13. यह कि विवादित भूमि वाके ग्राम मेधपुर में स्थित है जो कि न्यायालय श्रीमान के श्रवणाधिकार में स्थित है इसलिये न्यायालय श्रीमान के समक्ष यह दावा पेश है ।

वादी द्वारा अनुतोष चाहा गया कि:–

(क). कि वाके ग्राम मेधपुर स्थित ख० न0 539 रकबा 1.08 है0 मे 1/8 हिस्से का खातेदार हरद्वारी पुत्र रामनारायण के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 3 ल0 11 को खातेदार घोषित किया जावे।

(ख). कि वाके ग्राम मेघपुर स्थित हाल खसरा न0 539 का खाता विभाजन वादपत्र के खण्ड न0 7 मे बताये अनुसार किया जाकर अलग लगान किया जावे।

(ग). कि इसी ग्राम मे स्थित खसरा न0 328 रकबा 0.94 है० खसरा न० 258 रकबा 0.01 है० खसरा न0 529 रकबा 0.05 है० खसरा न0 287 रकबा 0.56 है० भूमि का खाता विभाजन वाद पत्र के खण्ड न० 8 के अनुसार अलग लगान किया जावे।

(घ). कि वाके ग्राम मेधपुर स्थित खसरा न0 198 रकबा 0.09 है० खसरा न० 78 रकबा 0.39 है० खसरा न० 148 रकबा 0.29 है० व खसरा न० 389 रकबा 0.55 है० भूमि का खाता विभाजन वाद पत्र के खण्ड न0 9 के अनुसार अलग लगान किया जावे।

(ङ). कि दावा हर्जा खर्चा दिलाया जावे।

(च). कि अन्य अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे दिलाया जावे।

बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण सुनी गई। प्रतिवादीगण की सम्यक् तामिल हुई। व प्राथमिक डिक्री दिनांक 25.02.2021 को की गई। तथा तहसीलदार बुहाना को विभाजन प्रस्ताव हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 113 दिनांक 30.04.2024 के द्वारा भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 726 दिनांक 06.02.2025 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए शामिल पत्रावली हुए विभाजन प्रस्ताव का अध्ययन किया गया प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा खाता विभाजन, विभाजन प्रस्ताव अनुसार करने हेतु निवेदन किया । किसी ने एतराज पेश नही किया है।

बहस के अनुसार ,शपथ पत्र , [illegible] से प्राप्त कुर्रे प्राप्त पर कोई एतराज नही किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध [illegible] दस्तावेजात, वादपत्र के अभिवचनों का ध्यान पूर्वक अवलोकन [illegible] पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2075–2078 वाके ग्राम मेघपुर स्थित [illegible] हाल खाता संख्या 124, 126,

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.08.06 17:35:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

237, 122, 123 में वादी के दर्ज हिस्से व मौका कब्जे काश्त अनुसार वाद वादी स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

–::आदेश::–

''न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन कर डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम मेघपुर तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 स्थित भूमि के ख0 न0 539 रकबा 1.08 है0, ख0 न0 328 रकबा 0.94 है0, ख0 न0 258 रकबा 0.01 है0, ख0 न0 259 रकबा 0.05 है0, ख0 न0 287 रकबा 0.56 है0, ख0 न0 198 रकबा 0.09 है0, ख0 न0 78 रकबा 0.39 है0, ख0 न0 148 रकबा 0.29 है0, व ख0 न0 389 रकबा 0.55 है0, भूमि का बाहमी बटवारे के अनुसार वादी का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श ''अ–1 लगायत अ–5'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श ''अ–1 लगायत अ–5'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श ''अ–1 लगायत अ–5'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। ''

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक 14/7/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.08.06 17:35:25 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

सुमन देवी II, आर.ए.एस.

पीठासीन अधिकारी:-

जीसीएमएस नम्बर :- 2016/00361

राजस्व वाद सं.– 31/2016

श्रीपाल बनाम महावीर आदि

दावा बाबत– खाता विभाजन

–निर्णय–

वादी की ओर से श्री विजयपाल यादव एडवोकेट की उपस्थित में एवं शेष प्रतिवादीगण की अनुपस्थिती में इस वाद को सुमन देवी II उपखण्ड अधिकारी, बुहाना के समक्ष अंतिम डिक्री के निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

" न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन कर डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम मेघपुर तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 स्थित भूमि के ख0 न0 539 रकबा 1.08 है0, ख0 न0 326 रकबा 0.94 है0, ख0 न0 258 रकबा 0.01 है0, ख0 न0 259 रकबा 0.05 है0, ख0 न0 287 रकबा 0.56 है0, ख0 न0 198 रकबा 0.09 है0, ख0 न0 78 रकबा 0.39 है0, ख0 न0 148 रकबा 0.29 है0, व ख0 न0 389 रकबा 0.55 है0, भूमि का बाहमी बटवारे के अनुसार वादी का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–5" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–5" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–5" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। "

यह आज तारीख 14/7/25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना जिला झुंझुनूं
(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.08.06 17:35:25 IST
Reason: SelfAttested